UPBJ010008252024

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4 बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0 93/2019

सरकार **बनाम** रूपचन्द आदि।

मु0अ0सं0– 248/2012

धारा– 60(2) एक्साइज एक्ट व 272 भा0दं0सं0।

थाना–हीमपुर दीपा, जिला बिजनौर।

13.03.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्तगण रूपचन्द व पवन मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आरोप विरचित किये जाने हेतु नियत है।

आरोप के बिन्दु पर सुना गया ।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु विवेचना में संकलित/पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का विधिवत परिशीलन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिशीलन से विदित है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 60(2) एक्साइज एक्ट व 272 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाता है।

दिनॉक–13.03.2024

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

उपरोक्तानुसार अभियुक्तगण रूपचन्द व पवन के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा60(2) एक्साइज एक्ट व 272 भा0दं0सं0 विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने उक्त आरोप से इन्कार किया और विचारण की याचना की। मुकदमा वादी/साक्षी के समन जारी हों। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 04.04.2024 को पेश हो।

दिनॉक–13.03.2024

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

UPBJ010008252024

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4 बिजनौर।

सत्र परीक्षण सं0 93/2019

सरकार **बनाम** रूपचन्द आदि।

मु0अ0सं0– 248/2012

धारा– 60(2) एक्साइज एक्ट व 272 भा0दं0सं0।

थाना–हीमपुर दीपा, जिला बिजनौर।

आरोप

मैं निजेन्द्र कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–4, बिजनौर आप अभियुक्तगण **रूपचन्द व पवन** को निम्नवत आरोपित करता हूँ–

1– यह कि दिनांक 12.08.2012 को समय 08:30 बजे स्थान जंगल ग्राम शब्दलपुर, थाना हीमपुर दीपा, जिला बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत आप अभियुक्तगण पुलिस द्वारा पकड़े गये और आपके पास से 25 लीटर शराब खाम व शराब बनाने के उपकरण व पांच किलो यूरिया खाद बरामद हुए। जबकि आपके पास शराब रखने का लाईसेन्स नहीं था। इस प्रकार आपका यह कृत्य धारा 60(2), उ0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1910 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2 – यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने शराब को पेय के रूप में यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जायेगी ऐसा अपमिश्रण किया कि वह शराब अपायकर बन गई। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो धारा 272 भा0दं0सं0 के अधीन दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि आपका उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये।

दिनॉक–13.03.2024

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681

अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे उन्होंने इंकार किया और विचारण की याचना की।

दिनॉक–13.03.2024

(निजेन्द्र कुमार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट नं0–4, बिजनौर।
J.O. CODE NO – UP2681